

एचओ:बीआर:113 : 29

02.02.2021

मानव संसाधन परिचालन विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
द्वारा जारी

भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परिपत्र

प्रिय महोदय,

विषय: फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए देय मंहगाई राहत:

- I. हमारे बैंक के 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों को
- II. हमारे बैंक के 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथियों को जिन्हें अनुग्रह राशि प्राप्त हो रहा है

शाखाएं अवगत हैं कि भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप 01.01.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है.

इस मामले में, हम आपका ध्यान हमारे परिपत्र सं एचओ:बीआर:109/58 दिनांक 13.04.2017 की ओर आकर्षित करते हैं जिसके द्वारा शाखाओं को 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जीवित कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथियों को अप्रैल 2017 से अनुग्रह राशि भुगतान के केन्द्रीकरण के बारे में सूचित किया गया था. अतः हमारा स्टाफ पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा अप्रैल 2017 से इन लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुग्रह राशि का भुगतान कर रहा है.

भारतीय बैंक संघ ने हमें सूचित किया है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के लिए देय मंहगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

लागू सीपीआई औसत		अनुग्रह राशि प्रति माह	मंहगाई राहत की दर	मंहगाई राहत की राशि प्रति माह	मंहगाई राहत सहित कुल अनुग्रह राशि प्रति माह
		रु.	%	रु.	रु.
7849	01.01.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	1214.04	4249	4599
	01.01.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवित जीवनसाथी	175	1214.04	2125	2300

अनुग्रह राशि भुगतान के केन्द्रीकरण के बाद से, शाखाओं को अप्रैल 2017 से अनुग्रह राशि भुगतान नहीं करने के अनुदेश दिए गए हैं. अतः फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक के लिए 01.01.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारियों को देय मंहगाई राहत के संशोधन से संबंधित यह परिपत्र केवल शाखाओं की जानकारी के लिए है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मंहगाई राहत की मौजूदा दर के बारे में पूछे जाने पर स्पष्टीकरण दे सके.

भवदीय,
[Signature]
(एस. कन्नन)

प्रमुख (एचआरसीपीसी एवं सेवान्त लाभ)

